



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16610

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3991 वर्ष 2025

मिर्जा यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 18 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राकेश यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(I) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम- चिलुआ, परगना- हवेली, तहसील- हाटा, जनपद- कुशीनगर स्थित पोखरी गाटा संख्या 165, क्षेत्रफल 0.5710 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 181, क्षेत्रफल 0.8940 हेक्टेयर की भूमि पर निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 19 के अवैध अतिक्रमण/कब्जे को विद्वान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2025 के अनुपालन में हटाएं।

(II) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम- चिलुआ, डाक- चिलुआ, तहसील- हाटा, जनपद- कुशीनगर स्थित ग्राम सभा की पोखरी भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 165, क्षेत्रफल 0.5710 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 181, क्षेत्रफल 0.8940 हेक्टेयर, को दिनांक 23.08.2025 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटाकर उसके मूल पोखरी स्वरूप में पुनर्स्थापित करें तथा उक्त पोखरी भूमि की स्थिति बनाए रखें।”

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड के संबंध में निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं हर्जाना का अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद उक्त आदेश का स्थल पर अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 67(5) के अंतर्गत दाखिल अपील भी अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए प्रस्तुत लोकहित याचिका पोषणीय नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है तथा तहसीलदार के आदेश को अपील में भी बरकरार रखा गया है।

7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित आदेश के निष्पादन हेतु उपचार उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है; अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए प्रस्तुत लोकहित याचिका पोषणीय नहीं है।

8. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ निरस्त की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में निहित प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत उचित कार्यवाही आरंभ की जा सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।